संख्या-31/2019/568 /कनिप्र/26-3-2019-19(20)/2019

प्रेषक,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक: 13 जून,2019
समाज कल्याण विभाग

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 मे अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2018-19 मे अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत जनपद महाराजगंज के विकास खण्ड- नौतनवां के ग्राम- तरैनी में पिच रोड़, पुलिया, इण्टर लाकिंग नाली एवं सोलर लाइट हेतु स्वीकृत कुल आंगणित लागत रू0 465.47 लाख के सापेक्ष आवंटित रू0 21.00 लाख (रू0 इक्कीस लाख मात्र) के सापेक्ष कार्य कराये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-संख्या-15/2019/318/कनिप्र/26-3-2019-19(20)/2019 दिनांक 08 मार्च,2019 द्वारा उ0प्र0राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू.पी.आर.एन.एस.एस.) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था।

2- इस संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर उच्च स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 08 मार्च,2019 द्वारा चयनित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (यू.पी.सी.एल.डी.एफ.) के स्थान पर अब प्रश्नगत कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त के क्रम में प्रश्नगत कार्यो हेतु संदर्भित शासनादेश दिनांक 08 मार्च,2019 द्वारा आवंटित रू0 21.00 लाख की धनराशि चयनित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0,लखनऊ को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

4- उक्त शासनादेश संख्या-15/2019/318/कनिप्र/26-3-2019-19(20)/2019 दिनांक 08 मार्च,2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्ते यथावत् रहेगी।

भवदीय,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

पृ0संख्या-31/2019/568(1)/क.नि.प्र./26-3-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2-जिलाधिकारी, महराजगंज।
3-कोषाधिकारी जवाहर भवन,लखनऊ/कोषाधिकारी महराजगंज।
4-वित्त नियन्त्रक, समाज कल्याण निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ।
5-जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), महराजगंज।
6-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (यू.पी.सी.एल.डी.एफ.)लखनऊ को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वह चयनित संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 (यू.पी.पी.सी.एल.) को प्रश्नगत धनराशि तत्काल हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित करें।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8- अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 गोरखपुर।
9- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in